न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 73/2024

श्री सांवर लाल चौधरी पुत्र रंगलाल चौधरी जाति जाट निवासी छान तहसील व जिला टोंक राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 16.01.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.10.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 819 दिनाक 07.11.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

मुख्यमंत्री कार्यालय से आपको संबोधित पत्र क्रमांक 48007 दिनांक 24.7. 2025 सांवरलाल चौधरी पुत्र श्री रंगलाल चौधरी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में आप (जिला कलेक्टर महोदय) द्वारा की गई जांच रिपोर्ट एवं आपके (जिला कलेक्टर महोदय) द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को भिजवाई गई तथ्यात्मक टिप्पणी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करायें

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छाया प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 1887 दिनांक 23.12.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 2547 दिनांक 27.12.2024 से अवगत कराया है कि वांछित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 2275 दिनांक 18.11.2024 से प्रेषित की गई है। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 7 दिनांक 1.01.2025 को छाया प्रति प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 68 दिनांक 12.01. 2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1128 दिनांक 31.12.2024 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक/लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सर्तकता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)